

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

“सामाजिक सुरक्षा विषय पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण”

(28.08.2018 से 30.08.2018)

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से दिनांक 28.08.2018 से 30.08.2018 तक “सामाजिक सुरक्षा” विषय पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन सत्र में श्री नारायण टोगस, सहायक निदेशक (इण्डोर) द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में अवगत करवाया गया।



प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में श्री के.एल. शर्मा विभागाध्यक्ष (मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा वृद्धावस्था एवं इसके शारीरिक, मानसिक प्रभाव व वृद्धजनों की देखभाल, सहयोगी नीतियां व परिणाम सम्बन्धी विषय और सामुदायिक पुलिसिंग व वरिष्ठ नागरिकों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने में पुलिस की भूमिका सम्बन्धी विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी।

श्री आर.एस. शर्मा, (सेवानिवृत्त) सहायक निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थों की प्रकृति, उनका वर्गीकरण, उनकी पहचान व मानव शरीर पर उनके सेवन से पडने वाले दुष्प्रभावों सम्बन्धित विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया।

श्री विधा प्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस, आरपीए, जयपुर द्वारा सामाजिक सुरक्षा, इसकी संकल्पना, प्रकृति, क्षेत्र व आवश्यकता सम्बन्धित विषय वस्तु पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया।

श्री आर. के. सोलंकी, वरिष्ठ प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मानसिक रोग विभाग, एस.एम. एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वारा स्वापक एवं मन प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग, उनके सेवन व सेवन से मानव शरीर पर होने वाली प्रतिक्रिया व इस व्यसन से मुक्त कराने वाली विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी विषय पर प्रकाश डाला।

श्री श्रीचन्द, एडीपी, आर.पी.ए. द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया।

डॉ. शिव गौतम ने स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थों के व्यसन, उपचार, परामर्श के सिद्धान्त और ऐसे व्यसनों से मुक्त होने के तरीकों एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।

श्री यदुराज शर्मा, परामर्शद, राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थों के सेवन के अभ्यस्त व्यक्तियों के उपचार पर कार्यरत संस्था “गौतम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर जयपुर” का शैक्षणिक भ्रमण प्रतिभागियों को करवाया गया।

श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आर.पी.ए. द्वारा स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इन औषधियों के दुरुपयोग को नियन्त्रित व नियमित करने सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाया गया।

श्री गोविन्द बेनीवाल, निदेशक, अन्ताक्षरी फाउण्डेशन, जयपुर द्वारा भिक्षावृत्ति सम्बन्धित विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करने हुए भिक्षावृत्ति को रोकने में पुलिस की भूमिका सम्बन्धी विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया।

श्री प्रताप राव, एकजीक्यूटिव एडिटर, इण्डिया न्यूज, द्वारा सामाजिक सुरक्षा, विशेष रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और बुजुर्गों के मुद्दों पर मीडिया और नेटवर्क की भूमिका सम्बन्धी विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया गया।



समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री विधा प्रकाश, उप अधीक्षक पुलिस, आरपीए, जयपुर द्वारा पुलिस अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए ओर अधिक संवेदनशील होते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए प्रशिक्षण की सार्थकता को बताया।

समापन सत्र के दौरान कोर्स में पधारे प्रतिभागी पुलिस अधिकारियों को प्रमाण-पत्र का वितरण करते हुए धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स का समापन किया गया। प्रशिक्षण में 22 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।